

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 2 फरवरी, 2020

विषय:- ए०आर०पी० (अकादमिक रिसोर्स पर्सन) का क्षमता सम्बर्द्धन किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपदों में प्रति विकास खण्ड पर 05 अकादमिक रिसोर्स पर्सन एवं 01 डायट मॅटर की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० द्वारा ए०आर०पी० के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं। ए०आर०पी० की मुख्य भूमिका बच्चों में लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों एवं विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना है।


2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०आर०पी० (अकादमिक रिसोर्स पर्सन) के क्षमता सम्बर्द्धन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

- **डाटा एनालिसिस हेतु टैबलेट-** भारत सरकार द्वारा पी०ए०बी० वर्ष 2019-20 में इनोवेटिव प्रोग्राम फार मॉनिटरिंग के अन्तर्गत टैबलेट क्रय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में ए०आर०पी० के माध्यम से विभाग द्वारा विकसित 03 हस्तपुस्तिकाओं- आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह को क्लासरूम प्रेक्टिसेज में लागू किया जाना है। उक्त के साथ ही ए०आर०पी० द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग, परीक्षा के परिणामों का आकलन एवं प्रेरणा तालिका को क्लासरूम में लागू करना है। इन कार्यों के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक ए०आर०पी० को अतिशीघ्र टैबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- **अकादमिक कार्य हेतु टी०एल०एम०-** मिशन प्रेरणा का मुख्य बिन्दु अकादमिक इनिशिएटिव हैं, जिसके अन्तर्गत कक्षा-कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिये एवं बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने हेतु टी०एल०एम० तथा प्रिन्टरिच मैटीरियल का वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित कराना है। राज्य स्तर पर एस०सी०ई०आर०टी० एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा इसका मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतः ए०आर०पी० के माध्यम से टी०एल०एम० का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए टी०एल०एम० इन्सेन्टिव दिया जाना है। उक्त के संबंध में विस्तृत रूपरेखा राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा के माध्यम से पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।

- **शैक्षणिक भ्रमण-** देश के विभिन्न राज्यों में अकादमिक एनिसिएटिव एवं अभिनव प्रयासों के सम्बन्ध में ए0आर0पी0 को जागरूक किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अभिनव प्रयोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सम्यक ढंग से लागू कर सकें। इस हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले ए0आर0पी0 का समय-समय पर अन्य प्रदेशों में एकसपोजर विजिट की व्यवस्था राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, 30प्र0 द्वारा की जायेगी।
- **जनपद स्तरीय कार्यशाला-** नयी-नयी तकनीकी, अभिनव प्रयासों आदि के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में मासिक आधार पर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करायी जानी आवश्यक है। कार्यशाला में समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में ए0आर0पी0 द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जायेगा जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले ए0आर0पी0 को पुरस्कृत किया जायेगा।
- **राज्य स्तरीय सम्मेलन-** विभिन्न जनपदों में अभिनव प्रयोग करने वाले, उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी भूमिका निभाने वाले तथा प्रेरणा डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ए0आर0पी0 द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। इस प्रस्तुतीकरण में सर्वोत्कृष्ट अभिनव प्रयोगों को प्रदेश में प्रसारित किया जायेगा। उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी भूमिका निभाने वाले ए0आर0पी0 को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय, जिससे कि उनका उत्साहवर्धन हो सके। उक्त के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा के माध्यम से पृथक से निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)


अपर मुख्य सचिव।

JK

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, 30प्र0।
 2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, 30प्र0।
 3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, 30प्र0।
 4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, 30प्र0।
 5. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
 6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, 30प्र0 लखनऊ।
 7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 प्रयागराज।
 8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, 30प्र0।
 9. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, 30प्र0।
 10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, 30प्र0।
 11. गार्ड फाईल।


11/02/2020


(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

JK